जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.186)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी– 744 दिनांक: 26/6/14

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 186वीं बैठक दिनांक 23.06.2014 का कार्यवाही विवरण

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
1.	186:1	कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी। एजेण्डा आईटम नम्बर 185:4 एवं 185:13 में क्रमशः जो शुद्धि-पत्र क्रमांक डी-647 दिनांक 05.06.2014 एवं डी-687 दिनांक 17.06.2014 जारी किया गया था की भी पुष्टि की गयी।	
2.	186:2	कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 185वीं बैठक दिनांक 21.05.2014 में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
3.	186:3	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आज्ञा क्रमांक प7(7) जविप्रा/संस्था/93/ पार्ट-II दिनांक 04.10.2013 के द्वारा आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आज्ञा दिनांक 04.10.2013 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन दिनांक 03.04.2014 से आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी अनुभव में छुट की पात्रता रखते है उनका प्रकरण अनुभव में छुट की	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अस्थाई आधार पर तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर रिक्त पदो की नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति के माध्यम से पुर्ति की जावें।	
4.	186:4	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक के पद पर आज्ञा क्रमांक प7(1) जविप्रा/संस्था/83/ पार्ट-II दिनांक 26.09.2013 तथा 30.09.2013 के द्वारा आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आज्ञा दिनांक 26.09.2013 तथा 30.09.2013 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन क्रमशः दिनांक 26.03.2014 एवं 30.03.2014 से आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी अनुभव में छुट की पात्रता रखते है उनका प्रकरण अनुभव में छुट की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अस्थाई आधार पर तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर रिक्त पदो की नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति के माध्यम से पुर्ति की जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
5.	186:5	रजत विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-191 नियमितिकरण के सम्बंध में।	रजत विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी-191 की नजराना राशि आवंटी द्वारा निर्धारित समयावधि से 763 दिवस के विलम्ब से जमा करायी गयी हैं। विचार विमर्श पश्चात मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड का नियमानुसार ब्याज व पैंलन्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-12बी
6.	186.6	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम, 1984 के विनियम 25(2) के प्रावधान के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक के पद पर आज्ञा क्रमांक प7(1)जविप्रा/संस्था/83/पार्ट-II दिनांक 30.09.2013 के द्वारा आवश्यक अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए की गई नियुक्ति की अवधि को आज्ञा दिनांक 27.03.2013 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन दिनांक 29.03.2014 से आगामी 6 माह के लिए बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी अनुभव में छुट की पात्रता रखते है उनका प्रकरण अनुभव में छुट की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजा जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अस्थाई आधार पर तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर रिक्त पदो की नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति के माध्यम से पुर्ति की जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
7.	186.7	Renewal of 80' sector road from Mahesh Nagar Phatak to Gopalpura Byepass, Sector-4, Zone-5, JDA Jaipur	प्रकरण में राजस्थान लोक सेवा उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में निविदा स्वीकृति हेतु निर्धारित कमेटी की दर स्वीकृति अवधि समाप्त हो गई है। विचार-विमर्श पश्चात टेण्डर वैद्यता अवधि बढ़ाये जाने एवं न्यूनतम निविदाता मैसर्स गोयल सावित्री इण्डस्ट्रीज की दर 6.61 प्रतिशत (अबोव जी शयूडल) की दर पर कार्य लागत राशि रूपये 3,68,29,060/- की स्वीकृति दिए जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि कार्यादेश जारी करने पूर्व नगर निगम, जयपुर से अनाप्पति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जावे कि यह कार्य नगर निगम, जयुपर द्वारा किया जाना प्रस्तावित नही है।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)
8.	186.8	खसरा नम्बर 1259, मे से भू0 सं0 13 राजस्व ग्राम सांगानेर का नियमितिकरण बाबत्	खसरा नम्बर 1259, मे से भू0 सं0 13 राजस्व ग्राम सांगानेर के आवंटी द्वारा मांग राशि एक वर्ष विलम्ब की अवधि से जमा करायी गयी। विचार विमर्श पश्चात नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	उपायुक्त जोन-8
9.	186.9	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 760 के नियमितिकरण के सम्बन्ध में।	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 760 के आवंटी को आवंटन पत्र दिनांक 13.08.2001 को जारी कर नजराना राशि, भवन की किमत व एक वर्ष की अग्रिम लीज राशि का मांग पत्र जारी कर कटपुतली नगर कच्ची बस्ती को खाली करवाकर पुनर्वासित किया गया था। आवंटी द्वारा मांग राशि विलम्ब से दिनांक 29.01.2014 एवं 23.05.2014 को जमा करवायी गयी। विचार विमर्श पश्चात आवास का नियमानुसार ब्याज एवं पैनल्टी लेकर	उपायुक्त जोन-8

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	
10.	186.10	ट्रासपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/473 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि ट्रासपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड संख्या ए-2/473 की नजराना राशि 459 दिवस विलम्ब को ब्याज एवं पैलन्टी की राशि वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5)(II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावें।	उपायुक्त जोन-13
अन्य मुददे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)				
11.	186.11	जयपुर विकास प्राधिकरण की पालडी मीणा योजना में भूखण्ड संख्या बी-350, जी-1248, डी-196, डी-177, बी-335, बी-162, ए-431, सी-229, सी-595, सी-533, एवं सी-346 के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पालडी मीणा योजना के भूखण्ड संख्या जी-1248, डी-196, की नजराना राशि निर्धारित समय से एक वर्ष दो माह व एक वर्ष दस माह के विलम्ब को नियमित किये जाने के लिए कार्यकारी समिति के अधिकार क्षेत्र में होने से नियमितिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि नियमन करते समय राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5)(II) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जावें। भूखण्ड संख्या बी-350, डी-177, बी-335, बी-162, ए-431, सी-229, सी-595, सी-533 एवं सी-346 में नजराना	उपायुक्त जोन-10

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			राशि दो वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा करायी गयी है अतः प्रकरण नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। राज्य सरकार को नियमन हेतु प्रकरण को भिजवाते समय वर्तमान आरक्षित दर तथा भू-निष्पादन नियमों के अनुसार वसूल की जा सकने वाली ब्याज एवं शास्ति की जानकारी भी प्रेषित की जावें। यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 के नियम 17(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत विलम्ब अवधि में 5 वर्ष की अवधि के नियमितिकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के स्थान पर आयुक्त, जविप्रा किये जाने हेतु संशोधन प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जावें।	अतिरिक्त निदेशक (भूमि एवं सम्पति निस्तारण)
12.	186.12	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम,1984 की अनुसूची संख्या IV नगर नियोजक सेवा में मुख्य नगर नियोजक (निदेशक, आयोजना) पद के प्रावधानों को सम्मलित किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम,1984 की अनुसूची संख्या IV नगर नियोजक सेवा में प्रथम श्रेणी सेवा में क्रम संख्या एक पर मुख्य नगर नियोजक (निदेशक,नगर आयोजना) पद पे बैण्ड 37,400-67,000 ग्रेड पे 10,000/-(नम्बर 24) हेतु प्रस्ताव अनुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रकरण विनियमों में संशोधन से सम्बन्धित है। अतः प्रकरण स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाने का भी निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
13.	186.13	जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 की अनुसूची-I प्रशासनिक सेवा में संयुक्त आयुक्त ग्रेड-प्रथम का पदनाम एवं प्रावधान जोडे जाने तथा उपायुक्त के 02 पदों को संयुक्त आयुक्त ग्रेड-प्रथम के पदों में क्रमोन्नत किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 की अनुसूची-I प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी सेवा में क्र.सं. 1 पर अंकित संयुक्त आयुक्त (सुपर टाइम स्केल) को क्र. सं. 1-क करते हुए उसके वर्तमान पद नाम को संयुक्त आयुक्त, ग्रेड-II ,पे बैण्ड 37,400-67,000 ग्रेड पे 8,700/- (नम्बर 22) करते हुए उसके उपर क्र.सं. 1 पर संयुक्त आयुक्त, ग्रेड प्रथम (हायर सुपर टाइम स्केल) के पद हेतु, पे बैण्ड 37,400-67,000 ग्रेड पे 9,500/-(नम्बर23-ए) करते हुए प्रस्ताव अनुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उपायुक्त के 2 पदो को संयुक्त आयुक्त-ग्रेड प्रथम पे बैण्ड 37,400-67,000 ग्रेड पे 9,500/-(नम्बर 23-ए) में क्रमोन्नत किये जाने का भी निर्णय लिया गया। प्रकरण विनियमों में संशोधन से सम्बन्धित होने के कारण प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त के 2 पदो को संयुक्त आयुक्त-ग्रेड प्रथम पे बैण्ड 37,400-67,000 ग्रेड पे 9,500/-(नम्बर 23-ए) में क्रमोन्नत करने के सम्बंध में राज्य सरकार से अलग से स्वीकृति प्राप्त कर ली जावें।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
14.	186.14	प्राधिकरण सेवा के अधिकारी/कर्मचारी जो पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे है, को बढा हुआ मंहगाई भत्ता भुगतान बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात प्राधिकरण सेवा के अधिकारी /कर्मचारी जो राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाईज्ड पे स्केल्स) रूल्स, 1998 के तहत पुरानी वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहे है, को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ते का दिनांक 01.01.2013 से 30.06.2013 तक	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
			151 प्रतिशत के स्थान पर 166 प्रतिशत तथा दिनांक 01.07.2013 से 166 प्रतिशत के स्थान पर 183 प्रतिशत महगांई भत्ते का नकद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	
15.	186.15	Approval of Criteria for post qualification of contractor for "Rehabilitiaon & Maintenance of ROBs at jaipur."	विचार विमर्श पश्चात अधिशाषी अभियंता आर.ओ.बी. प्रथम के द्वारा आर.ओ. बी. के रिहेबीलेटेशन एवं मेंटीनेन्स कार्य की प्रकृति व इस प्रकार के कार्य करने वाली फर्मो के अनुभव के मद्धेनजर निर्धारित मापदण्ड (पोस्ट क्वालिफिकेशन के क्राईटेरिया) में जो नियमानुसार संशोधन चाहे गये थे :- 1. बिडर के द्वारा किसी भी एक वित्तीय वर्ष में पॉच वित्तीय वर्ष के अन्दर एक्सपेंशन जोईन्ट व बियरिंग लगाने का कार्य कमशः 290 मीटर व 1820000 क्यूबिंक सैटर का किया हो। यदि बिडर चाहे तो वर्तमान वित्तीय वर्ष को भी चुन सकता है। 2. बिडर द्वारा सिमिलर नेचर का एक कार्य रूपये 86.00 लाख का एक वित्तीय वर्ष में विगत तीन वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया हुआ हो। 3. बिडर के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 371.00 लाख का टर्नओवर विगत तीन वित्तीय वर्षो में किया हो। 4. बिड केपेसिटी के आर्हताएँ प्राधिकरण के द्वारा पोस्ट क्वालिफिकेशन की आर्हताओं के अनुसार। प्रस्तुत एजेण्डा विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस कार्य की प्रकृति को देखते हुए उपरोक्त वर्णित संशोधन पोस्ट क्वालिफिकेशन की अर्हताओं का अनुमोदन किया।	निदेशक अभियांत्रिकी (प्रथम)

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
16.	186.16	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-17, बी-50, सी-656, डी-54, डी-216डी-115,डी-305, ई-66, ई-163, ई-186,ई-209,ई-317,ई-338,एफ-203, एफ-160,एफ-259, एफ-204, एफ-432, एफ-498,एफ-353, एफ-347, एफ-140, जी-226, आई-111, जे-83, एवं जे-87 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-17, बी-50, सी-656, डी-54, डी-216 डी-115, डी-305, ई-66, ई-163, ई-186, ई-209, ई-317, ई-338, एफ-203,एफ-160, एफ-259, एफ-204, एफ-432, एफ-498, एफ-353, एफ-347, एफ-140, जी-226, आई-111, जे-83, एवं जे-87 के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण निरस्त हुए आवंटन को विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-13ए
17.	186.17	कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-99,डी-430,एफ-373,आई-164, आई-57, बी-278 एवं एफ-295 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात कल्पना नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए-99, डी-430, एफ-373, आई-164, आई-57, बी-278 एवं एफ-295 के आवंटियों द्वारा भूखण्ड की नजराना राशि विलम्ब से जमा करवाए जाने के कारण निरस्त हुए आवंटन को विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर भूखण्ड का आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया। नियमन करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।	उपायुक्त जोन-13ए

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी
18.	186.18	Post-Facto approval for relaxation in eligibility criteria for participation of contractors for the work "Filling the pot holes/patch repair on JDA roads by Mobile Infrared Recycling Road Repair Machine JDA jaipur (Annual Rate contract)."	विचार विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि सड़क मरम्मत की मशीन जविप्रा में पंजीकृत ठेकेदारों के पास उपलब्ध नही होने के कारण मशीन धारक एवं अनुभव वाली एजेन्सी को 2 प्रतिशत अमानता राशि लेकर टेण्डर जारी करने की शिथिलता प्रदान की गयी।	निदेशक अभियांत्रिकी (द्वितीय)

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 186वीं बैठक दिनांक 23.06.2014 को प्रातः 10:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1.	श्री शिखर अग्रवाल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3.	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री अनत कुमार	उप निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
6.	श्रीमति लवंग शर्मा	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री अरुण गर्ग	अति. जिला कलक्टर-तृतीय, जयपुर	कलक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
8.	श्री रामचरण शर्मा	आयुक्त मुख्यालय	जयपुर नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9.	श्री संजीव सचदेवा	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10.	श्री प्रताप मल केडिया	अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन)	पुलिस मुख्यालय, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11.	श्रीमति उर्मिला राजोरिया	E.D.(T)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयुपर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
12.	श्रीमति नलिनी कठोतिया	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम्स मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री ललित शर्मा	निदेशक अभियांत्रिकी-द्वितीय	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री राजकुमार शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (तृतीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्री एम.एल. चौधरी	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री वी.एस. सुण्डा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- प्रथम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री बी.डी. शर्मा	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- चतुर्थ	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री रामअवतार शर्मा	अतिरिक्त निदेशक, राजस्व सम्पति निस्तारण	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	विनिता सिंह	उपायुक्त (ज़ोन-8)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री लोकेश सहल	उपायुक्त जोन-10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री अजय असवाल	उपायुक्त जोन-12बी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री बीरबल सिंह शेखावत	उपायुक्त जोन-13	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
24.	श्री असलम शेर खान	उपायुक्त प्रशासन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
25.	श्री पी. के. व्यास	अधिशाषी अभियन्ता	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
26.	श्रीमती ऊषा जैन	सहायक निदेशक (जन-संपर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
27.	श्री नवल किशोर बैरवा	सहायक आयुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.186)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2014/डी-744 दिनांक: 26/6/14

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
3	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4	महापौर	जयपुर नगर निगम।
5	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी/भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	उपायुक्त जोन..........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर